न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीणा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
45/2022/प्रा.पत्र/2022	01.07.2022	17.11.2022

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री आशीष कुमार जैन पुत्र श्री डालचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स आशीष किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास मेहन्दवास तह. व जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 11 बस स्टैण्ड के पास मेहन्दवास तह. व जिला टोंक राज.

........अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी स्वयं।

:–निर्णय–: **दिनांक 17.11.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.02.2022 को समय 01:41 पीएम पर मैसर्स आशीष किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास मेहन्दवास तह. व जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री आशीष कुमार जैन पुत्र श्री डालचन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री आशीष कुमार जैन ने स्वयं को मैसर्स आशीष किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास मेहन्दवास तह. व जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **राईस फ्लैक्स पोहा टॉप–इन–टेस्ट ब्राण्ड (Rice Flakes Poha Top-n-Taste Brand)** 800–800 ग्राम के 20 नग दुकान में प्लास्टिक के बैग में आम जनता को विक्रय करने हेतु रखे थे, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री आशीष कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री आशीष कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **राईस फ्लैक्स पोहा टॉप–इन–टेस्ट ब्राण्ड (Rice Flakes Poha Top-n-Taste Brand)** वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है 800–800 ग्राम के 4 नग पॉली पैक कुल 3200 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **राईस फ्लैक्स पोहा टॉप–इन–टेस्ट ब्राण्ड (Rice Flakes Poha Top-n-Taste Brand)** 800–800 ग्राम के 4 नग पॉली पैक कुल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

3200 ग्राम को बराबर--बराबर एक भाग 800 ग्राम को खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई--3075 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपका कर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने आप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक द्वारा मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री आशीष कुमार जैन पुत्र श्री डालचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स आशीष किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास मेहन्दवास तह. व जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स लखमी चन्द फूलचन्द ए--4 अनाज मण्डी नजर बाग रोड टोंक का खरीद बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं. 4707 दिनांक 18.01.2022 प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक ने प्रबंधक मैसर्स लखमी चन्द फूलचन्द ए--4 अनाज मण्डी नजर बाग रोड टोंक को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ **राईस फ्लैक्स पोहा टॉप--इन--टेस्ट ब्राण्ड (Rice Flakes Poha Top-n-Taste Brand)** को वारन्टी बिल संख्या 4707 दिनांक 18.02.2022 द्वारा मैसर्स डालचन्द आशीष कुमार मेहन्दवास तह. व जिला टोंक को विक्रय किया गया था। जबकि उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना मैसर्स आशीष किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास मेहन्दवास तह. व जिला टोंक से लिया गया था।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/734 दिनांक 24.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस./778/एक्ट/2022/820 दिनांक 09.03.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **राईस फ्लैक्स पोहा टॉप--इन--टेस्ट ब्राण्ड (Rice Flakes Poha Top-n-Taste Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(i)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट श्री अजय कुमार जैन पुत्र श्री डालचन्द को मय रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी।

आवेदक द्वारा श्री आशीष कुमार जैन पुत्र श्री डालचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स आशीष किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास मेहन्दवास तह. व जिला टोंक को पत्र प्रेषित कर बतौर वारन्टी उचित खरीद बिल चाहा गया जो प्राप्त नहीं हुआ। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए एवं अपनी बहस में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस राईस **फ्लैक्स पोहा टॉप–इन–टेस्ट ब्राण्ड (Rice Flakes Poha Top-n-Taste Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **राईस फ्लैक्स पोहा टॉप–इन–टेस्ट ब्राण्ड (Rice Flakes Poha Top-n-Taste Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 श्री आशीष कुमार जैन पुत्र श्री डालचन्द जैन पर शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 17.11.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(शिव चरण मीणा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक